नामांतरण अपील वाद सं0 - 12/22-23

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3.5.23	आदेश	

आदेश

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रश्नागत अपील वाद अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामांतरण वाद संख्या-**229/22-23** में दिनांक-04.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के अनुसार मौजा-जरमुने, थाना-बगोदर में स्थित खाता-54, प्लॉट-2206, रकवा-22 डी0 मध्ये 11.50 डी0 एवं प्लाट-2209, रकवा-04 डी0 मध्ये $1\frac{1}{5}$ डी0 की जमीन निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलकर्त्ता की माँ एवं दादी सुमित्रा देवी पति स्व0 लोकनाथ साव को हासिल है। उक्त भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दिनांक- 02.02.2022 को केवल सुनील कुमार गुप्ता के नाम निर्गत कर दिया गया, जबकि यह सम्मिलात सम्पत्ति (Joint) है। उक्त LPC के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर-सरिया के समक्ष अपील दायर किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा अपील वाद संख्या-02/2022-23 को स्वीकृत करते हुए दिनांक-13.04.2022 को अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा निर्गत LPC को रद्द कर दिया गया।

उक्त LPC रद्द होने के बाद, इस तथ्य को छुपाते हुए सामान्य अधिकार पत्र सं0-128 दिनांक-02.05.2022 को आधार बनाते हुए

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	दिनांक-12.05.2022 को इन्द्रदेव प्रसाद द्वारा प्रश्नागत भूमि का विक्रय मालती देवी वगै0 के पास कर दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा क्रेता मालती देवी के नाम प्रश्नागत भूमि का नामांतरण कर दिया गया। फलतः यह अपील वाद लाया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि रजिस्ट्री केवाला सं0-1720, दिनांक-12.05.2022 तथा केवाला सं0-2266, दिनांक-29.06.2022, केवाला सं0-2266, दिनांक-04.07.2022 द्वारा इन्द्रदेव साव पिता स्व0 खिरो साव से खरीद किये हैं। उक्त विक्रय-पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रश्नागत भूमि अपीलकर्त्ता की माँ सुमित्रा देवी द्वारा निबंधित विक्रय-पत्र के माध्यम से वर्ष 1957 में मो0 वेदमी कुँवरी एवं मो0 पार्वती कुँवरी से खरीद की थी। सुमित्रा देवी की मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्र जय प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता एवं सुनील कुमार गुप्ता उक्त भूमि पर काबिज हुये। वर्तमान में ओम प्रकाश गुप्ता की मृत्यु हो गई है जिनके दो पुत्र एवं दो पुत्री है। दिनांक-21.09.2020 को प्रथम पक्ष के सभी हिस्सेदारों के साथ आपसी सहमति के साथ बँटवारानामा ज्ञापन तैयार किया, जिसमें सभी पक्षों के हस्ताक्षर भी हैं। उक्त बंटवारा के आधार पर सुनील कुमार गुप्ता ने अपने हिस्सेदारों की जमीन का बिक्री हेतु सामान्य अधिकार पत्र इन्द्रदेव साव के नाम सम्पादित किया।	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

इन्द्रदेव साव ने विपक्षी के साथ विक्रय-पत्र सम्पादित किया तथा उस विक्रय-पत्र के आधार पर विपक्षी के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया है। अतः यह अपील अस्वीकार करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेज एव निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इनकी विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ -

1. कि इस नामांतरण एवं जमीन के खरीद-बिक्री में जमीन के आपसी बंटवारा एवं उनकी अनुमान्यता का विवाद है। नामांतरण वाद मे इन तथ्यों की विवेचना नहीं की जा सकती है। इसका निष्पादन व्यवहार न्यायालय में ही हो सकता है।
2. कि अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा प्रश्नागत भूमि का LPC दिनांक-02.02.2022 को निर्गत किया गया था जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा दिनांक-13.04.2022 को रद्द कर दिया।
3. कि द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा LPC रद्द करने के आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु वाद दायर नहीं किया गया।
4. कि रद्द LPC की बात को छुपाते हुए द्वितीय पक्ष के द्वारा 02.05.2022 को सामान्य अधिकार पत्र एवं 12.05.2022 को विक्रय पत्र सम्पादित किया गया।

उक्त विवेचन के आलोक में इस अपील को

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	स्वीकृत करते हुये अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित नामांतरण आदेश को रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय एवं सभी पक्षकारों को भेजें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.07.04 16:33:22 +05:30
Location: 192.168.1.7